



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(3817) आ.कृ/ 20801-24

दिनांक : 21/8/2020


आदेश

राजस्थान सेवा नियम के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत निम्नलिखित कृषि पर्यवेक्षकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कृषि पर्यवेक्षक	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	कार्यालय का नाम
1	श्री बद्री लाल जाट	02.10.1960	02.10.2020	31.10.2020	जिला विस्तार अधिकारी, सी. ए.डी. बून्दी
2	श्री बाबुलाल गर्ग	10.01.1961	10.01.2021	31.01.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) सिरौही
3	श्री लूम्बराज काठात	14.01.1961	14.01.2021	31.01.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) सोजत
4	श्री नन्द सिंह	25.01.1961	25.01.2021	31.01.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) छतरगढ़
5	श्री पवन कुमार गौतम	02.02.1961	02.02.2021	28.02.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) बीकानेर
6	श्री रघुवीर शरण गुप्ता	08.02.1961	08.02.2021	28.02.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) अलवर
7	श्री रेवती प्रसाद शर्मा	08.03.1961	08.03.2021	31.03.2021	सहा.निदे.कृषि(वि.) अलवर

(नोट:- 1. उपरोक्त कृषि पर्यवेक्षकों के केवल सेवानिवृत्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं उनका जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जायेगा।

2. यदि कार्मिक को राजकीय आवास आवंटित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग राज0 जयपुर के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर कार्मिक से राजकीय आवास खाली करवा लिया जावे।)


(डॉ० ओमप्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(3817) आ.कृ/ 20801-24

दिनांक : 21/8/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) उदयपुर/जालोर/बीकानेर/भरतपुर।
3. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्, सिरौही/पाली/बीकानेर/अलवर।
4. सहायक निदेशक कृषि (वि.) सिरौही/सोजत/छतरगढ़/बीकानेर/अलवर।
5. जिला विस्तार अधिकारी, सी.ए.डी., बून्दी।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक।
8. आरक्षी।


(बी.एल.कुमावत)

सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)